नईदुनिया

भोपाल, 8 नवम्बर 2026

खास समाचार

भारत में जियो और स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी

नई दिल्ली। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। रिलायंस जियो और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की स्टारलिंक इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने की तैयारी कर रही हैं। इस तकनीक के माध्यम से उन क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकेगा, जहां फाइबर केबल बिछाना मुश्किल है। हालांकि, दोनों कंपनियों ने भारत में अपनी सेवाओं की शुरुआत की तारीख और शुल्क की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की है। भारत सरकार ने सैटेलाइट संचार सेवा के लिए रिलायंस जियो, स्टारलिंक और एयरटेल समर्थित वनवेब को अनुमति दी है। इन कंपनियों को व्यावसायिक सेवा शुरू करने से पहले सुरक्षा संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

भारत में जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं। जियो और एयरटेल के शुरुआती 100 एमबीपीएस गति वाले घरेलू इंटरनेट पैकेज की कीमत करीब 599 रुपये प्रतिमाह बताई गई है। इसके मुकाबले स्टारलिंक की भारत में कीमत अभी तय नहीं है।

स्टारलिंक अमेरिका के कई शहरों में अपनी सेवा दे रही है। शिकागो में इसका शुरुआती घरेलू पैकेज 60.50 डॉलर यानी लगभग 5600 रुपये प्रतिमाह का है। इसमें 100 एमबीपीएस तक की गति मिलती है। इस आधार पर विदेश में स्टारलिंक की सेवा भारत में उपलब्ध फाइबर इंटरनेट की तुलना में महंगी दिखाई देती है। हालांकि, भारत में लागू होने वाला शुल्क अलग हो सकता है।

दिवाली पर आज खुलेगा शेयर बाजार, दोपहर 2:20 से 3:30 बजे तक होगी मुहूर्त खरीदारी

नई दिल्ली। दीपावली के अवसर पर भारतीय शेयर बाजार में रविवार, 8 नवंबर को विशेष मुहूर्त कारोबार होगा। सामान्य दिनों में रविवार को शेयर बाजार बंद रहते हैं, लेकिन दीपावली के शुभ अवसर पर निवेशकों को खरीदारी और बिक्री का अवसर देने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) विशेष सत्र आयोजित करेंगे। यह कारोबार नए विक्रम संवत 2083 की शुरुआत का भी प्रतीक होगा।

दोनों प्रमुख शेयर बाजारों के अनुसार, मुहूर्त कारोबार दोपहर 2:20 बजे शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेगा। इस तरह निवेशकों को मुख्य कारोबार के लिए एक घंटे दस मिनट का समय मिलेगा। इससे पहले दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक शुरुआती सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान निवेशक अपने आदेश दर्ज करा सकेंगे और उनमें आवश्यक बदलाव कर सकेंगे।

शेयर बाजार में मुख्य कारोबार से पहले बड़े सौदों के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। इसके तहत दोपहर 1:50 से 2:05 बजे तक बड़े सौदों का सत्र होगा। इसके बाद शुरुआती सत्र शुरू होगा। दोपहर 2:15 से 2:17 बजे तक आदेशों का मिलान और सौदों की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद 2:20 बजे नियमित मुहूर्त कारोबार शुरू होगा।

मुख्य कारोबार का समय दोपहर 3:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणी के शेयरों में नीलामी आधारित प्रक्रिया के कारण कारोबार 3:15 बजे समाप्त हो जाएगा। बाजार बंद होने के बाद भी कुछ श्रेणियों में निर्धारित समय के अनुसार प्रक्रिया जारी रहेगी।

शेयर बाजार में दीपावली के दिन मुहूर्त कारोबार की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इसे नए वित्तीय वर्ष की शुभ शुरुआत के रूप में देखा जाता है। दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा के साथ धन और समृद्धि की कामना की जाती है। इसी मान्यता के चलते अनेक निवेशक इस विशेष सत्र में प्रतीकात्मक रूप से शेयर खरीदते हैं। यह परंपरा नए विक्रम संवत के आगमन से भी जुड़ी है। इस वर्ष मुहूर्त कारोबार के साथ संवत 2083 की शुरुआत होगी।

पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का दावा केंद्र ने किया खारिज

27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 893 नमूने जांच में मानकों के अनुरूप मिले, तेल कंपनियों ने संयुक्त जांच की मांग की

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: कर्नाटक में पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाने के आरोपों को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने खारिज कर दिया है।

मंत्रालय के अनुसार, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए ई-20 पेट्रोल के सभी 893 नमूने जांच में निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। इनमें इथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच रही। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए संयुक्त जांच कराने की मांग की है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो तथा पेट्रोल पंपों से निर्धारित भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों के अनुसार नमूने लिए गए थे। कर्नाटक से कुल 56 नमूने एकत्र किए गए। जांच में सभी नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 19 से 20 प्रतिशत के बीच मिली। इनका औसत 19.30 प्रतिशत रहा। मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के 31.2 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के आरोप को गलत और निराधार बताया है।



राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल: कर्नाटक सरकार के आरोपों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सामाजिक माध्यम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ई-20 अब 420 बन गया है और जनता की गाड़ियों से पेट्रोल की चोरी हो रही है। उनके अनुसार, कर्नाटक सरकार ने सात जिलों से पेट्रोल के 14 नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच कराई थी। इनमें से 11 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक मिली। राहुल गांधी ने अधिक इथेनॉल मिलाने से वाहनों का औसत घटने और रखरखाव का खर्च बढ़ने का मुद्दा भी उठाया।

तेल कंपनियों ने जांच प्रक्रिया पर जताई आपत्ति: इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कर्नाटक सरकार की अक्टूबर में कराई गई जांच पर आपत्ति जताई है। कंपनियों का कहना है कि नमूने लेते समय उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे। राज्य सरकार ने जांच के लिए सुरक्षित रखे गए दूसरे नमूने और पूरी प्रयोगशाला रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई। कंपनियों ने यह भी कहा कि निजी प्रयोगशाला के प्रमाणपत्र में जांच की तकनीक और इस्तेमाल की गई प्रक्रिया का पूरा विवरण नहीं है।

नुकसान के दावे को भी नकारा: केंद्र ने पेट्रोल में अधिक इथेनॉल मिलाने से वाहन चालकों को सालाना 1.01 लाख करोड़ रुपये के नुकसान के दावे को भी खारिज किया है। कर्नाटक सरकार ने इसमें 62 हजार करोड़ रुपये माइलेज घटने और 39 हजार करोड़ रुपये मरम्मत पर खर्च होने का अनुमान बताया था। मंत्रालय के अनुसार, ई-20 के अनुकूल वाहनों में माइलेज में एक से दो प्रतिशत और अन्य वाहनों में तीन से छह प्रतिशत तक कमी हो सकती है। तेल कंपनियों ने सरकारी प्रयोगशाला में दोनों पक्षों की मौजूदगी में संयुक्त जांच कराने की मांग की है।

हर साल 1.22 लाख करोड़ रुपये का खाद्य पदार्थ बर्बाद

खेत से बाजार तक पहुंचने से पहले सड़ जाती हैं एक-तिहाई फल-सब्जियां

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत में हर साल लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपये के खाद्य पदार्थ लोगों की थाली तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसके प्रमुख कारण फल-सब्जियों के सुरक्षित भंडारण की कमी और मौसम में बदलाव के साथ बढ़ती गर्मी हैं। देश के कुल ताजे कृषि उत्पादन में से केवल चार प्रतिशत को ही शीतगृह में रखने की सुविधा उपलब्ध है। रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 30 से 40 प्रतिशत फल-सब्जियां बाजार या उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले खराब हो जाती हैं। वहीं, उचित रखरखाव और परिवहन की कमी के कारण पांच से छह प्रतिशत अनाज भी रास्ते में बर्बाद हो जाता है।

खाद्य पदार्थों की इस बर्बादी का सीधा असर बाजार में उपलब्धता और आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। अनुमान है कि खाद्य महंगाई सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। वहीं, खुदरा महंगाई दर सितंबर के 5.54 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 5.93 प्रतिशत होने का अनुमान है।



महंगी होती खाद्य सामग्री से बढ़ी चिंता: कम वर्षा के कारण सब्जियों और फसलों की आवक प्रभावित हुई है। विदेशी बाजारों से आने वाले खाद्य तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत से प्याज के दाम में लगभग 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूध, मांस और अंडे की कीमतों में भी तेजी आई है। इससे आम परिवारों के रसोई बजट पर दबाव बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, गर्मी और प्रतिकूल मौसम के कारण फल-सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी के एक फल व्यापारी को वर्ष 2024 में गर्मी के कारण आम खराब होने से एक ही दिन में एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। देश की दो करोड़ हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि प्रतिकूल मौसम से प्रभावित है, जबकि 45 प्रतिशत कृषि क्षेत्र पर बाढ़ का खतरा बना रहता है।

दूध उत्पादन में भी हो रही कमी

बढ़ते तापमान का असर पशुपालन और दुग्ध उत्पादन पर भी पड़ रहा है। गर्मी से मवेशियों की उत्पादकता प्रभावित होने के कारण देश में हर साल लगभग 18 लाख टन दूध का उत्पादन कम हो जाता है। इससे करीब 2661 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। देश के लगभग 40 प्रतिशत मवेशी प्रतिकूल मौसम से प्रभावित हैं।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की शोध प्रमुख डॉ. पलक बालियान के अनुसार, खाद्य पदार्थों की बर्बादी केवल खेती की समस्या नहीं, बल्कि भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था की कमी का परिणाम है। इससे निपटने के लिए शीतगृह और शीत शृंखला का विस्तार, मौसम की सटीक चेतावनी, आधुनिक भंडारण तकनीक तथा किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए दिसंबर की बैठक में नीतिगत ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इससे आवास और वाहन ऋण की किस्तें महंगी होने की आशंका है।

कोका-कोला की भारतीय बोतलबंदी कंपनी लाएगी सार्वजनिक निर्गम

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: कोका-कोला की भारतीय बोतलबंदी इकाई हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस की मूल कंपनी हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स लिमिटेड ने सार्वजनिक निर्गम लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने इसके लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास प्रारूप दस्तावेज जमा कर दिए हैं। कंपनी की योजना वर्ष 2027 में अपने शेयरों को मुंबई और राष्ट्रीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की है। यह निर्गम पूरी तरह बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से लाया जाएगा। इसके तहत हिंदुस्तान कोका-कोला ओवरसीज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 10 रुपये अंकित मूल्य वाले लगभग 100 करोड़ शेयर बेचेगी। कुल 99 करोड़ 74 लाख 61 हजार 456 शेयरों की बिक्री प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया में नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे और बिक्री से प्राप्त राशि शेयर बेचने वाले हिस्सेदार को मिलेगी।

निर्गम के प्रबंधन के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेपी मॉर्गन इंडिया, मॉर्गन स्टेनली इंडिया, एक्सिस कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज को प्रमुख प्रबंधक नियुक्त किया गया है।

अमेरिका के अटलांटा में स्थित कोका-कोला के लिए भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बाजार है। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भारत उसका तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बन सकता है। हिंदुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स अपनी सहायक कंपनी हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस के माध्यम से मुख्य रूप से दक्षिण और पश्चिम भारत में कारोबार करती है।

दिवाली पर बड़ी छूट, मोबाइल से लेकर गीजर तक पर 65 प्रतिशत की बचत

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दीपावली के अवसर पर घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपहार खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए विजय सेल्स ने विशेष बिक्री शुरू की है। इस बिक्री में स्मार्टफोन से लेकर टेलीविजन, फ्रिज, गीजर और घरेलू उपकरणों तक पर 65 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। ग्राहक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी इन उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं।

कंपनी की इस विशेष बिक्री में शाओमी, सैमसंग, वनप्लस, गूगल और वीवो जैसे प्रमुख ब्रांड के स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। अलग-अलग मोबाइल पर अलग-अलग छूट और खरीदारी संबंधी पेशकश दी जा रही है। इसके अलावा टेलीविजन और मनोरंजन से जुड़े उपकरणों पर भी विशेष कीमतों का लाभ मिल सकता है।

दीपावली पर घर के लिए जरूरी सामान खरीदने वालों को फ्रिज, वाशिंग मशीन, वातानुकूलन यंत्र, वैक्यूम क्लीनर, बर्तन धोने की मशीन और गीजर जैसे उत्पादों पर भी छूट दी जा रही है। घर में मनोरंजन के लिए ग्राहक ध्वनि यंत्र, ध्वनि पट्टी और पार्टी स्पीकर भी विशेष कीमतों पर खरीद सकते हैं। घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं भी इस बिक्री में शामिल हैं।

बैंक कार्ड से खरीदारी पर अतिरिक्त लाभ

इस विशेष बिक्री में बैंक की ओर से भी छूट दी जा रही है। ग्राहक ऋण और डेबिट कार्ड के माध्यम से खरीदारी करने पर तत्काल छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही आसान मासिक किस्तों का विकल्प भी उपलब्ध है। एचडीएफसी बैंक के कार्ड से पांच हजार रुपये या उससे अधिक की आसान किस्तों पर खरीदारी करने पर 15 हजार रुपये तक की तत्काल छूट मिल सकती है।



सेबी का नया निपटान नियम लागू, नियामकीय मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया होगी आसान

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सात नवंबर से नियामकीय मामलों के निपटारे के लिए नया ढांचा लागू कर दिया है। इसका उद्देश्य पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को नियामकीय कार्रवाई से जुड़े कुछ मामलों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटारा करने की सुविधा देना है। नई व्यवस्था में ऑनलाइन आवेदन, निपटान राशि की गणना के लिए गणक और कुछ मामलों में त्वरित निपटारे का प्रावधान किया गया है। यह बदलाव सीधे शेयर खरीदने-बेचने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, बल्कि सेबी की नियामकीय कार्रवाई का सामना कर रहे पात्र आवेदकों के लिए है।

सेबी ने आठ अक्टूबर को नए नियमों की अधिसूचना जारी की थी। प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाहियों के निपटान संबंधी विनियम, 2026 के तहत वर्ष 2018 की पुरानी व्यवस्था का स्थान लिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार, पात्र आवेदक निर्धारित शर्तें पूरी करने पर कार्यवाही के अलग-अलग चरणों में निपटान के लिए आवेदन कर सकेंगे।



ऑनलाइन आवेदन और गणना की सुविधा: आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सेबी ने ऑनलाइन निपटान आवेदन सुविधा शुरू की है। इसके साथ ही निपटान राशि की गणना करने वाला गणक, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी और सहायता केंद्र भी उपलब्ध कराया गया है। आवेदकों की सुविधा के लिए एक मार्गदर्शक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें निपटान राशि की गणना की प्रक्रिया समझाई गई है।

आवेदन शुल्क और न्यूनतम राशि तय: नए नियमों के तहत आम व्यक्तियों के लिए आवेदन शुल्क 25 हजार रुपये और अन्य आवेदकों के लिए 35 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। यह शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। पहली बार आवेदन करने वालों के लिए न्यूनतम निपटान राशि तीन लाख रुपये रखी गई है, जबकि दोबारा आवेदन करने वालों के लिए यह राशि सात लाख रुपये होगी।

हालांकि, अंतिम निपटान राशि कई बातों पर निर्भर करेगी। इसमें मूल राशि, कार्यवाही का चरण, कथित उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता तथा नियामकीय कार्रवाई से जुड़ी परिस्थितियां शामिल हैं। सेबी के समक्ष लंबित कार्यवाही में सामान्यत: कारण बताओ सूचना या पूरक सूचना मिलने के 120 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। यह समय-सीमा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या उच्चतम न्यायालय में लंबित कुछ विशेष मामलों पर लागू नहीं होगी।

10 लाख रुपये तक के मामलों में त्वरित निपटारा

नई व्यवस्था में उल्लंघन और राशि की सीमा के आधार पर त्वरित निपटारे की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक की निपटान राशि वाले आवेदन शीघ्र प्रक्रिया के योग्य हो सकते हैं। हालांकि, इसके लिए शर्त है कि मामले में अवैध लाभ की वापसी, सुधारात्मक उपाय या अतिरिक्त नियामकीय शर्तें शामिल न हों।

गंभीर मामलों को नहीं मिलेगी राहत: जानबूझकर चूक करने वालों, धोखाधड़ी करने वाले कर्जदारों और फरार आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामले इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रखे गए हैं। बाजार पर व्यापक असर डालने वाले, निवेशकों को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले या बाजार की निष्पक्षता को खतरे में डालने वाले मामलों को भी निपटान से बाहर रखा जा सकता है। जांच आंतरिक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति करेगी। पूर्णकालिक सदस्यों का समूह आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेगा।